

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार

भूमि एवं भवन विभाग  
विकास भवन, नई दिल्ली

विधानसभा तारांकित प्रश्न सं. : 04

दिनांक : 14.03.2013

प्रश्नकर्ता : श्री मनोज कुमार, माननीय विधायक

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि 5-6 वर्ष पहले दिल्ली के जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई थी उनको वैकल्पिक प्लॉट आवंटित किए जाने थे,	जी हाँ, भारत सरकार की वर्ष 1961 की नीति के अनुसार दिल्ली सरकार के भूमि एवं भवन विभाग द्वारा आवेदकों के योग्य पाये जाने पर उनकी अधिग्रहीत भूमि के बदले वैकल्पिक प्लॉट दिए जाने की व्यवस्था है ।
ख	यदि हाँ, तो क्या सरकार जल्द ही इन किसानों को वैकल्पिक प्लॉट उपलब्ध कराएगी; और	अधिग्रहित भूमि के बदले वैकल्पिक प्लॉटों के आवंटन की सिफारिश के लिए प्राप्त आवेदनों का निस्तारण उनकी वरीयता सूची के आधार पर किया जाता है ।
ग	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?	उपरोक्त ।

के.के. गोविंद  
30/3/13